



2A/12
21/8/18

शिव प्रताप सिंह
लाहौरी

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
लेखा परीक्षा रिपोर्ट

संस्था का नाम- नगर निगम लाहौरी।

अवधि- वर्ष 2016-17

सम्परीक्षा प्रारम्भ एवं समाप्त तिथि- सम्परीक्षा दिनांक 28.06.17 को प्रारम्भ एवं दिनांक 28.03.18 को समाप्त की गई।

पेशासन- आरंभिक तौर पर नगर निगम लाहौरी के माहपौर पद पर श्री राम गोपाल सोहन आसीन थे। नगर आयुक्त के पद पर श्री हरि प्रताप शाही एवं मुख्य वित्त अधिकारी के पद पर श्री शिवप्रताप सिंह कार्यरत थे।

भाग-क

वित्तीय एवं मान्य महत्व की अनियमितताएँ-

1. निधियों और सम्पत्ति की हानि और दुर्विनियोग के प्रकरण- शून्य।
2. गबन- नगर निगम निधि की रोक-बंदी को अवलोकनरहित प्रकाश में आया कि दिनांक 23.02.2016 को आवेदन शुल्क संख्या 1404003 में नगर निगम पत्र संख्या-2 इतीव संख्या 507580.00 दिनांक 23.02.16 से रु० 1067430.00 की आय प्राप्त थी। उक्त आय श्री लोकनाथ सिंह निरमित लिपिक उरुणा पार जोन द्वारा गबन की गई धनराशि जमा की गई। धनराशि नगर आयुक्त के आदेशानुसार प्रतिपूर्ति हेतु आंशिक जमा की गई थी। नगर निगम निधि बैंक खाता संख्या-50200014004873 एचडीएफएच में दिनांक 17.02.16 को जमा थी। जबकि रोक-बंदी में दिनांक 23.02.16 को आय पान में लिया गया था। अर्थात् निरमित लिपिक से प्राप्त उक्त धनराशि को बैंक में जमा ही जाने के परतात ही उसके पक्ष में पत्र संख्या-2 विगत था एवं रोक-बंदी की आय में सम्मिलित किया गया था।

सम्परीक्षा में सम्बन्धित पत्रबंदी की बार-बार जांच की गई किन्तु सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं सका कि गबन किस अवधि से शायद तथा और गबन की कुल कितनी धनराशियाँ थी। सम्परीक्षा में विचार विमर्श से स्पष्ट हुआ कि सम्बन्धित लिपिक को विरूद्ध प्रशासनिक कार्रवाई कर निरमित किया गया था और उसके विरूद्ध पुलिस ने भी एच०आइ०आर० दर्ज कराया गया था किन्तु लिपिक के अतिरिक्त अन्य कर्मचारी/अधिकारी की सहायता को राज्ञान में नहीं लिया गया था। जो उचित नहीं था।

उक्त के अतिरिक्त आदमपुर जोन आवेदन शुल्क मद में रु० 524400.00 गबन का प्रकरण भी प्रकाश में आया था जिस प्रकार प्रशासनिक निर्णय जल दूर सम्बन्धित कर्मचारी श्री लोकनाथ शर्मा से एच०डी०एफ०सी० खाता रा० 50200014004873 नगर निगम निधि की रोक-बंदी के आय पथ में दिनांक 25.10.16 को रु० 524400.00 सम्मिलित किया गया था।

मुख्य नगर लेखा परीक्षा की आख्या में दिनांक 28.05.16 को श्री लोकनाथ शर्मा आदमपुर आदमपुर जोन द्वारा आवेदन शुल्क के मद में रु० 524400.00 गबन किये जाने के सम्बन्ध में

शिवप्रताप सिंह
लाहौरी

18 पहले आया उसके बाद बिल संख्या 15 आया था। उक्त बिल प्रभारी अधिकारी आलोक नाम से था। डीन संख्या 09181918403सी0अं0 अंकित था बिल एवं वाउचर की विवरण निम्नप्रद-

व०सं०	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम	बिल सं०	दिनांक	कंता
12	06.06.16	49412.00	मोशक्ति ट्रेडो	15	01.12.15	प्रभारी अधिकारी आलोक
14	06.06.16	49631.00	मोशक्ति ट्रेडो	17	06.11.15	प्रभारी अधिकारी आलोक
16	06.06.16	47040.00	मोशक्ति ट्रेडो	16	06.11.15	प्रभारी अधिकारी आलोक
		146030.00				

निष्कर्ष- उपर्युक्त प्रस्ताव और स्वच्छ आपत्ति विवरण में उल्लिखित आपत्तियों के अवलोकन से स्पष्ट था कि लेखों में प्रयाप्त सुधार की आवश्यकता थी। सम्बन्धीता में निर्गत मूल आपत्ति विवरण पत्र वाचित उत्तरों सहित वरिष्ठ लेखा परीक्षक को वापस नहीं किये गये। इन्हें अब सीधे जवाहस्ताक्षरी के कार्यालय को वापस किया जाय।

स्वच्छ आपत्ति विवरण - स्वच्छ आपत्ति विवरण में क्रमांक 01 से 16 पद है।

स्थान- वाराणसी

दिनांक-26.04.18

श्री राम रतन सिंह

वरिष्ठ लेखा परीक्षक

श्री धनश्याम

लेखा परीक्षक

(अबुल फजल)

उप निदेशक

वाराणसी मण्डल वाराणसी

हस्ताक्षर

मुन्श बिल एवं लेखों के
कमर निम्न वाराणसी

